राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर
बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001

Rajasthan Nursing Council, Jaipur
B-39, Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur - 302001

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan

क्रमांकः–प.06/(20)/आरएनसी/जीबी बैठक/2026/1083 दिनांक : 06.03.2026

अति–आवश्यक

प्राचार्य/प्रधानाचार्य
समस्त राजकीय/निजी जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
समस्त राजकीय ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

विषय :– परीक्षा मे नकल एवं अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश।

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की जी.बी. बैठक दिनांक 17.10.2022 के ऐजेण्डा संख्या क्रमांक 19 में लिए गए निर्णय के अनुसरण मे गठित समिति द्वारा कौंसिल की विभिन्न परीक्षाओं में नकल एवं अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम के संबंध में अभिशषित दिशा–निर्देशों की प्रति संस्थान के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने तथा कठोरता से पालना किए जाने के क्रम मे संलग्न कर प्रेषित है।

यह दिशा निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(जोईस कुरियन)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांकः–प.06(20)आरएनसी/जीबी बैठक/2026/1083 दिनांक : 06.03.2026
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं पदेन अध्यक्ष, आरएनसी, जयपुर।
2. निजी सचिव, रजिस्ट्रार को प्रेषित कर लेख है कि दिशा–निर्देशों कों कौसिल की वेबसाईट पर भी अपलोड करावे।
3. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

Tel.: +91 141 2222923 | Fax: +91 141 2222099 | Website : www.rncjaipur.org | E-mail : rncjaipur@gmail.com

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर
बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001

Rajasthan Nursing Council, Jaipur
B-39, Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur - 302001

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan

परीक्षा में नक़ल एवं अनुचित साधन प्रयोग करने की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपनी पात्रता (Eligibility) के संबंध में गलत जानकारी देकर परीक्षा में प्रवेश पाने का दोषी पाया जाता है, तो उसे वर्तमान परीक्षा सहित दो साल की अवधि के लिए किसी भी परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
2. पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री छात्र के पास पाए जाने पर (चाहे नकल की हो या नकल करने में असमर्थ होने पर) उस दिन का विशेष विषय परीक्षा पेपर रद्द कर दिया जाएगा।
3. **बातचीत करना:** यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के घंटों के दौरान, पर्यवेक्षक स्टाफ की अनुमति के बिना, परीक्षा हॉल के अंदर या बाहर किसी अन्य अभ्यर्थी या अनधिकृत व्यक्ति से बात करते हुए पाया जाता है, तो उस विशेष विषय की उसकी परीक्षा रद्द की जाएगी।
4. **आपत्तिजनक सामग्री:** यदि कोई अभ्यर्थी बरामदे, शौचालय (Urinal) आदि में पेपर के पाठ्यक्रम से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री पढ़ते हुए या पास रखते हुए पाया जाता है, तो उस विषय विशेष पेपर को रद्द कर दिया जाएगा।
5. **परीक्षा हॉल छोड़ना:** यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा हॉल छोड़ता है:-
    a. परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षा समाप्ती के आधे घंटे पूर्व और/या
    b. निरीक्षक की अनुमति के बिना, और/या
    c. निरीक्षक को अपनी उत्तर पुस्तिका सौंपे बिना, और/या
    d. उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) पर हस्ताक्षर किए बिना;

    तो संबंधित पेपर में उसकी परीक्षा रद्द की जाएगी।
6. **प्रायोगिक (Practical) परीक्षा:** यदि कोई अभ्यर्थी प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान ऐसी कोई प्रैक्टिकल बुक, क्लासवर्क या नोटबुक प्रस्तुत करता है जो उसकी अपनी नहीं है, तो उस विशेष विषय की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।
7. यदि कोई अभ्यर्थी:
    a. संबंधित निरीक्षक (Invigilator) को अपनी उत्तर-पुस्तिका सौंपे बिना परीक्षा हॉल से बाहर चला जाता है, और उसे अपने साथ ले जाता है, या
    b. परीक्षा हॉल के अंदर या बाहर अपनी उत्तर-पुस्तिका या उसके किसी भी हिस्से को फाड़/नष्ट कर देता है, या
    c. किसी अन्य अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल छोड़ने के लिए उकसाता/मजबूर करता है, या परीक्षा के संचालन में बाधा डालने या व्यवधान डालने का प्रयास करता है, या परीक्षा केन्द्र के परिसर में किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल होता है, जो परीक्षा की पवित्रता या उद्देष्य का उल्लंघन करती है, तो वर्तमान वर्ष की परीक्षा सहित एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा में बैठने या उत्तीर्ण होने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
8. यदि कोई अभ्यर्थी केन्द्र अधीक्षक, निरीक्षक, फ्लाइंग स्कवाईड के सदस्य या पर्यवेक्षी स्टाफ या अन्य अधिकृत सदस्य द्वारा पकड़े जाने पर, अपने पास मौजूद संदिग्ध कागज/सामग्री के साथ परीक्षा हॉल से भाग जाता है या उस सामग्री को निगलकर, फैंककर या किसी अन्य माध्यम से नष्ट कर देता है, तो उसे वर्तमान वर्ष सहित दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी आर.एन.सी. की परीक्षा में बैठने/उत्तीर्ण होने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

9. यदि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है:
   a. परीक्षा हॉल के अंदर पूरी या आंशिक उत्तर-पुस्तिका की तस्करी करना, या
   b. परीक्षा हॉल से बाहर पूरी या आंशिक उत्तर-पुस्तिका या प्रश्न पत्र ले जाना या भेजने की व्यवस्था करना, या
   c. परीक्षा के दौरान या बाद में अपनी उत्तर-पुस्तिका को पूरी तरह या आंशिक रूप से बदलना या बदलवाना,या
   d. किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा देना (Impersonation) या किसी अन्य व्यक्ति से अपनी जगह परीक्षा दिलवाना, तो उसे वर्तमान परीक्षा सहिततीन वर्ष की अवधि के लिए किसी भी आर.एन.सी. की परीक्षा के बैठने/उत्तीर्ण होने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
10. यदि कोई अभ्यर्थी निरीक्षक (Invigilator) केंद्र अधीक्षक (या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति) के निर्देशों की अवज्ञा करने का दोषी पाया जाता है, या यदि वह उचित प्राधिकारी की अनुमति के बिना आंवटित सीट के अलावा किसी अन्य सीट पर बैठता है, तो उसे विषय विशेष प्रश्नपत्र की परीक्षा रद्द की जा सकती है।
11. यदि कोई अभ्यर्थी जानबुझकर अपनी उत्तर-पुस्तिका पर निधारित स्थान के अलावा अन्यत्र स्वयं या अन्य किसी अभ्यर्थी का रोल नंबर या नाम अथवा मोबाइल न. लिखता है जिससे उसकी गोपनीयता भंग होती हो, तो उसे वर्तमान परीक्षा सहित दो वर्ष की अवधि तक किसी भी आर.एन.सी. की परीक्षा में बैठने/उत्तीर्ण होने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
12. जब कोई अभ्यर्थी परीक्षा के घंटों से पहले, दौरान या बाद में, परीक्षा केन्द्र के अदंर या बाहर परीक्षा के संबंध में दुव्र्यवहार और/या अनुशासनहीनता का दोषी पाया जाता है, तो सजा की सीमा वर्तमान पेपर को रद्द करने से लेकर, अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर वर्तमान परीक्षा सहित तीन वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी आर.एन.सी. की परीक्षा में बैठने/उत्तीर्ण होने से अयोग्य घोषित करने तक हो सकती है।
13. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा हॉल/केन्द्र में कोई हथियार ले जाता है, तो उसे अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर वर्तमान परीक्षा सहित दो वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी आर.एन.सी. की परीक्षा में बैठने/उतीर्ण होने अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
14. जहाँ परीक्षा से संबंधित कोई कागज या अन्य सामग्री या किसी अन्य अनुचित साधन (Unfair Means) का उपयोग परीक्षा समाप्त होने के बाद भी पाया या पता लगाया जाता है, तो संबंधित उम्मीदवार को अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर वर्तमान परीक्षा सहित तीन वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी आर.एन.सी. की परीक्षा में बैठने/उत्तीर्ण होने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
15. परीक्षार्थी परीक्षा कक्षा में परीक्षा समय से 15 मिनट पूर्व अपनी आंवटित स्थान पर बैठना सुनिश्चित करेगें अन्यथा उस विशेष विषय की परीक्षा में सम्मिलित नही किया जाएगा।
16. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष मे निधारित गणवेष में बैठना सुनिष्चित करेगें अन्यथा उस विशेष विषय की परीक्षा में सम्मिलित नही किया जाएगा।

श्री मनोज कुमार शर्मा	**श्रीमती अनीता सिंह**	**श्री दिनेश कुमार**
नर्सिंग टयूटर	**नर्सिंग टयूटर**	**नर्सिंग टयूटर**
राजकीय नर्सिंग कॉलेज	**नर्सिंग स्कूल एस एम एस हॉस्पिटल**	**आरयूएचएस कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग साइंसेज**
जयपुर	**जयपुर**	**जयपुर**